भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

सीबीडीटी ने सुरक्षित बंदरगाह नियमों के दायरे का विस्तार करने के लिए आयकर नियम, 1962 में संशोधनों को अधिसूचित किया है

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92कख, अंतरिम रूप से, सीबीडीटी को धारा 92ग या धारा 92गक के तहत आर्म की लंबाई की कीमत के निर्धारण के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने का अधिकार देती है।

सुरक्षित बंदरगाह नियमों के दायरे का विस्तार इस प्रकार किया गया हैः

(a) सुरक्षित बंदरगाह का लाभ उठाने की सीमा को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करना;

(b) कोर ऑटो घटकों की परिभाषा में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए लिथियम आयन बैटरी शामिल करना।

सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को कर निश्चितता प्रदान करने के लिए ये संशोधन दो मूल्यांकन वर्षों 2025-26 और 2026-27 पर लागू होते हैं।

सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 21/2025 दिनांक 25.03.2025 को https://egazette.gov.in में प्रकाशित किया गया है

(V. रजिता)
आयकर आयुक्त
(मीडिया और तकनीकी नीति) और
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी